(वाद सं0-5361/4/25/2021)

11.08.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, केदार नाथ भगत, के पुत्र की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर जिला आपदा प्रबंधन विभाग, नवादा द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान अंचलाधिकारी, नवादा द्वारा नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर **जिला पदाधिकारी, नवादा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, नवादा** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **" अंचल अधिकारी, नवादा, सदर के पत्रांक 99, दिनांक 17.01.2022। द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के पुत्र के मृत्यु के उपरान्त आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनुग्रह अनुदान की राशि मो0 400000.00 (चार लाख) रूपये Axis Bank के खाता संख्या– 918010085604202 में भुगतान कर दिया गया है। "**

उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से इस निर्देश के साथ प्रत्युत्तर की मांग की गई कि परिवादी दिनांक–03.08.2022 के पूर्व अपना प्रत्युत्तर राज्य आयोग के समक्ष समर्पित नहीं करेंगे तो समझा जायेगा कि परिवादी को अब प्रसंगाधीन मामले म कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है तथा राज्य आयोग द्वारा **जिला पदाधिकारी, नवादा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

परिवादी, केदारनाथ भगत, से मांगा गया प्रत्युत्तर अप्राप्त है । ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अब प्रसंगाधीन मामलें में कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है तथा परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है।

ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, नवादा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक